न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

पीठासीन अधिकारी श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-473RAAJodhpur2024-189RTA223 Banwarilal Vs Laxman Kumar etc

बनवारीलाल पुत्र श्री हीराराम जाति विश्नोई, निवासी– ग्राम लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।

अपीलाण्ट ...

ब

ना

म

1. लक्ष्मण कुमार राव पुत्र सत्यनारायण
2. कमल किशोर विश्नोई पुत्र सत्यनारायण
3. श्यामा पत्नी लक्ष्मण कुमार
4. सुमन विश्नोई पत्नी कमल किशोर
   जातियान् विश्नोई, निवासीगण– ग्राम लोहावट विशनावास, जिला फलोदी।
5. ओमपुरी पुत्र सुरजपुरी
6. सम्पतपुरी गोद पुत्र गोमद पुरी
7. रामे देवी पत्नी गोमदपुरी
8. सारा पत्नी सुरजपुरी
9. प्रकाश पुरी पुत्र मंगलपुरी
10. राजेन्द्र पुरी पुत्र मंगलपुरी
11. बगतूदेवी पत्नी जेठपुरी
12. प्रमोद पुत्र लालपुरी
    सभी जातियान् गोस्वामी, निवासीगण– ग्राम लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
13. विमला देवी पत्नी स्व. नेनूराम, जाति विश्नोई, निवासी– ग्राम लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट।

रेस्पो. ...

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21 अक्टूबर 2024 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 04/2024 लक्ष्मण कुमार व अन्य बनाम बगतुदेवी इत्यादि

उपस्थित–

श्री पुनाराम विश्नोई, अधिवक्ता–अपीलाण्ट

श्री रोशनलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1

श्री दयाराम चौधरी, राजकीय अधिवक्ता रेस्पो. संख्या 14

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

नि र्ण य

दिनांक : 19 फरवरी 2025

अपीलाण्ट ने सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 04/2024 अनवान लक्ष्मण कुमार व अन्य बनाम बगतुदेवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21 अक्टूबर 2024 के खिलाफ आलौच्य अपील अदालत हाजा के समक्ष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 223 के तहत दिनांक 28 अक्टूबर 2024 को प्रस्तुत की है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि रेस्पोडेंट संख्या एक से दस ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 212 रकबा 1.6835 हैक्टेयर, खसरा नंबर 162 रकबा 3.9659 हैक्टेयर ग्राम लोहावट विशनावास तहसील लोहावट के संबंध धारा 53 एवं 91 आर.टी.एक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर वादग्रस्त आराजी के विभाजन की इस्तदुआ चाही। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार कर निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित कर दी, जिससे व्यथित होकर अपीलांट ने आलौच्य अपील प्रस्तुत की है।

बहस सुनी गई। अधिवक्ता–अपीलाण्ट ने तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि यह निर्विवाद तथ्य है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांट व रेस्पोडेंट्स की संयुक्त खातेदारी की अविभाजित भूमि है। वादग्रस्त आराजी के संबंध में पूर्व से ही घोषणा का वाद भी विचाराधीन है। विचारण न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा जवाबदावा व काउंटर क्लेम पेश किया गया था, जिसका जवाबुल जवाब भी पत्रावली पर उपलब्ध है। विचारण न्यायालय द्वारा जवाबदावा व काउंटर क्लेम तथा वाद पत्र के आधार पर मामले में कुल 12 तनकीयात कायम किये थे तथा दिनांक 09 सितंबर 2024 को पत्रावली को जिरह हेतु मुकर्रर थी। विचारण न्यायालय में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से आगामी पेशी दिनांक 16.10.2024 नियत की गई। दिनांक 16.10.2024 से आगामी पेशी दिनांक 21.10.2024 को पत्रावली साक्ष्य वादी मे नियत थी, लेकिन वर्तमान सहायक कलक्टर लोहावट का पद रिक्त होने से सहायक कलक्टर देचू को अतिरिक्त कार्यभार दिया हुआ है। सहायक कलक्टर देचू द्वारा दिनांक 21.10.2024 को पत्रावली में साक्ष्य न लेकर वादी पी.डब्ल्यू–1 के बयान पूर्व में कलमबद्ध होना मानकर प्रतिवादी संख्या तीन का गलत रूप से साक्ष्य पेश नहीं

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

करने बाबत लिखकर मूलवाद में बहस सुनना बताकर प्रत्यर्थीगण के वाद को स्वीकार कर डिक्री कर दिया, जबकि अपीलार्थी/प्रतिवादी संख्या तीन अपना साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते थे। वादी के गवाह से भी किसी प्रकार की जिरह करने का कोई अवसर नहीं दिया गया, न ही प्रतिवादीगण को साक्ष्य का एक भी अवसर दिया गया, बल्कि सीधे ही वाद स्वीकार कर प्राथमिक डिक्री जारी कर दी गई जो काबिले निरस्त है। प्रत्यर्थीगण/वादीगण संख्या एक ता चार अजनबी क्रेतागण है। वे मूल खातेदार नहीं है तथा प्रोपट्री खरीदने व बेचने का कार्य करते है, जिन्होंने जल्दबाजी में बिना साक्ष्य हुए पत्रावली में अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित करवा दी। वास्तविकता यह है किह वादग्रस्त भूमि में हिस्से भी सही दर्ज नहीं है तथा इसी भूमि बाबत एक अन्य वाद घोषणा का पूर्व से ही विचाराधीन है। विचारण न्यायालय द्वारा वाद की विषय–वस्तु को बिना समझे वाद को सीधे ही डिक्री करने में कानूनी भूल की है। दौराने बहस अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि माननीय राजस्व मण्डल में विचाराधीन निगरानी संख्या 2024/3493 में विचारण न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया है। रेस्पोडेंट संख्या एक से चार द्वारा जानबूझकर पत्रावली को भेजने नहीं दिया गया। दिनांक 30.08.2024 के आदेश के उपरांत उक्त वाद पत्रावली को रजिस्टर्ड डाक से माननीय राजस्व मण्डल हेतु डाक में डालकर डाक से वापस सहायक कलक्टर लोहावट में गलत रूप से मंगवा ली, अर्थात तमाम कार्यवाही न्यायिक प्रक्रिया से हटकर कर दी। इस कारण अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री काबिले खारिज है। अपीलार्थी वादग्रस्त आराजी का रेकर्डेड खातदोर है। रेस्पोडेंट्स अजनबी क्रेता है। विचारण न्यायालय द्वारा बाद तनकीयात कायमी बिना साक्ष्य लिये बिना, बिना जिरह का अवसर प्रदान किये, बिना बहस सुने तथा अपीलांट के काउंटर क्लेम को निर्णित किये बिना अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी जो विधिक प्रावधानों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अंत में अपीलांट के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21 अक्टूबर 2024 को खारिज फरमाया जावे एवं मामला अपीलांट को सुनवाई व जिरह का अवसर प्रदान करने एवं विधिनुसार निर्णित किये जाने हेतु विचारण न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

जवाब में रेस्पोडेंट संख्या एक के अधिवक्ता ने निवेदन किया कि विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य के आधार पर विभाजन के वाद में विधिसम्मत निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की गई है। विचारण न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में जमाबंदी में पक्षकारान् के दर्ज हक–हिस्से अनुसार ही निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित की है। अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये अपीलांट के वर्तमान जमाबंदी में दर्ज हिस्से मे किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है तथा न ही अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील में उसके हक–हिस्से में परिवर्तन का उज्र उठाया है। यह उल्लेखनीय है कि अपीलांट वादग्रस्त आराजी में केवल एक प्लॉट/भूखण्ड का मालिक ही है। अपीलांट द्वारा मामले को लंबा करने हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष अनावश्यक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किये गये थे, जिनका विचारण न्यायालय द्वारा विधिसम्मत निस्तारण किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को जिरह हेत पर्याप्त अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी उसके द्वारा जिरह नहीं की गई है। दौराने बहस वकील रेस्पोडेंट ने निवेदन किया कि अपीलांट केवल एक भूखण्ड का खातेदार है, वह जहां चाहे रेस्पोडेंट उसे उसके भूखण्ड को देने हेतु सहमत है। अपीलांट द्वारा मात्र रेस्पोडेंट संख्या एक को परेशान करने के उद्धेश्य से हस्तगत अपील प्रस्तुत की है। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज फरामायी जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुरूप विधिसम्मत निर्णय पारित किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध अभिलेख का आद्योपान्त गम्भीरतापूर्वक अध्ययन किया गया। विचारण न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन मुताबिक विचारण न्यायालय द्वारा वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद दिनांक 06 फरवरी 2024 को संस्थित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या एक बगतुदेवी ने दिनांक 02 अप्रैल 2024 को स्वयं उपस्थित होकर बंटवाड़ा की प्राथमिक डिक्री जारी करने में सहमति प्रदान की तथा प्रतिवादी संख्या तीन/अपीलांट जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुआ। प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 08 मई 2024 को प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

07 नियम 11 सीपीसी प्रस्तुत कर वादीगण का वाद विधि–बाधित होने से खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा। विचारण न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 22 मई 2024 के जरिये प्रतिवादी/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत उक्त प्रार्थना पत्र उभय पक्ष की सुनवाई उपरांत खारिज किया जाना पाया जाता है। तत्पश्चात अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 10 सीपीसी प्रस्तुत कर वाद पत्रावली को पूर्व वाद संख्या 565/2020 के साथ समेकित किये जाने का अनुतोष चाहा तथा दिनांक 19 जून 2024 को अपना जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया। अपीलांट द्वारा बताया गया पूर्ववर्ती वाद दिनांक 29 मई 2024 को जरिये प्रत्याहरण खारिज हो जाने से विचारण न्यायालय द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र आदेशिका दिनांक 03 सितंबर 2024 के जरिये खारिज किया जाना पाया जाता है। तत्पश्चात अपीलांट की ओर से विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 151 सीपीसी के तहत आवेदन प्रस्तुत कर वाद को खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा गया, जिसे भी विचारण न्यायालय द्वारा खारिज किया जाना पाया जाता है। विचारण न्यायालय द्वारा आदेशिका दिनांक 03 सितंबर 2024 के जरिये प्रतिवादी/अपीलांट को जिरह हेतु अंतिम अवसर प्रदान किया जाकर आगामी पेशी नियत किया जाना पाया जाता हैं। तत्पश्चात दिनांक 21.10.2024 को वादी की ओर से साक्ष्य पूर्ण करवाये जाने तथा प्रतिवादी की ओर से साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर विचारण न्यायालय द्वारा उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए मामले का तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री पारित किया जाना पाया जाता है।

विचारण न्यायालय द्वारा तनकीवार विवेचन करते हुए अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री के जरिये वादग्रस्त भूमि खसरा नं. 212 रकबा 1.6835 हैक्टेयर, खसरा नंबर 162 रकबा 3.9659 हैक्टेयर ग्राम लोहावट विशनावास तहसील लोहावट में पक्षकारान् के कब्जा काश्त को ध्यान में रखते हुए वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में पक्षकारान् के दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस विभाजन प्रस्ताव तैयार किये जाने हेतु तहसीलदार लोहावट को आदेशित किया गया है। विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट के हक–हिस्से में किसी प्रकार का कोई फेरबदल नहीं किया गया है।

विचारण न्यायालय की पत्रावली अवलोकन से साबित होता है कि अपीलांट का मकसद वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाना न होकर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

येन–केन–प्रकारेण वाद को खारिज करवाये जाने का रहा है। विचारण न्यायालय द्वारा प्रतिवादी संख्या तीन/अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रत्येक प्रार्थना पत्र पर अपीलांट सहित उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए विधिसम्मत रूप से निस्तारित किये गये है तथा विचारण न्यायालय द्वारा अपीलांट को जिरह एवं साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किये जाने के बावजूद भी अपीलांट का वादग्रस्त आराजी का विभाजन करवाने के प्रति उदासीन एवं नकारात्मक रवैया रहा है। ऐसी स्थिति में अपीलांट का उक्त उज्र कि विचारण न्यायालय द्वारा उसे सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुति के अवसर प्रदान नहीं किये गये, मानने योग्य नहीं है।

जहां तक अपीलांट का उज्र है कि विचारण न्यायालय द्वारा उसके काउंटर क्लेम का निस्तारण नहीं किया गया। इस संबंध में अपीलाधीन निर्णय के अवलोकन से प्रकट होता है कि विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या तीन को निर्णित करते हुए अपीलांट के काउंटर क्लेम का निर्णित किया गया है। काउंटर क्लेम के अवलोकन से प्रकट होता है कि अपीलांट द्वारा अपने काउंटर क्लेम में विभाजन अथवा खातेदारी घोषणा इत्यादि किसी प्रकार का अनुतोष न चाहकर केवल वादीगण के वाद को खारिज किये जाने का अनुतोष चाहा है। वादीगण का वाद प्राथमिक रूप से स्वीकार हो जाने से अपीलांट का काउंटर क्लेम स्वतः निरस्त हो चुका है। लिहाजा गुणावगुण पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री जमाबंदी में दर्ज हिस्से अनुसार पारित किये जाने से उसमें किसी प्रकार की कोई विधिक त्रुटि नहीं पाये जाने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना अदालत हाजा की राय में उचित नहीं है। रेस्पोडेंट्स द्वारा दौराने बहस यह स्वीकार किया गया है कि विभाजन प्रस्ताव में अपीलांट के कब्जे अनुसार भूमि हिस्से में दी जाती है तो रेस्पोडेंट संख्या एक सहमत है। लिहाजा न्याय हित में विभाजन प्रस्ताव पर सभी पक्षों को सुनकर अंतिम डिक्री जारी करने हेतु विचारण न्यायालय को निर्देशित करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 04/2024 अनवान लक्ष्मण कुमार व अन्य बनाम बगतुदेवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अक्टूबर 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24 फरवरी 2025 को उपस्थित रहे। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

डिक्री बसीगे अपील

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

बइजलास श्री ओमप्रकाश विश्नोई, आर.ए.एस.

2024-473RAAJodhpur2024-189RTA223 Banwarilal Vs Laxman Kumar etc

अपीलाण्ट		रेस्पोडेण्ट
बनवारीलाल पुत्र श्री हीराराम जाति विश्नोई, निवासी– ग्राम लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट, जिला फलोदी।	**बनाम**	1. लक्ष्मण कुमार राव पुत्र सत्यनारायण 2. कमल किशोर विश्नोई पुत्र सत्यनारायण 3. श्यामा पत्नी लक्ष्मण कुमार 4. सुमन विश्नोई पत्नी कमल किशोर जातियान् विश्नोई, निवासीगण– ग्राम लोहावट विशनावास, जिला फलोदी। 5. ओमपुरी पुत्र सुरजपुरी 6. सम्पतपुरी गोद पुत्र गोमद पुरी 7. रामे देवी पत्नी गोमदपुरी 8. सारा पत्नी सुरजपुरी 9. प्रकाश पुरी पुत्र मंगलपुरी 10. राजेन्द्र पुरी पुत्र मंगलपुरी 11. बगतूदेवी पत्नी जेठपुरी 12. प्रमोद पुत्र लालपुरी सभी जातियान् गोस्वामी, निवासीगण– ग्राम लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट, जिला फलोदी। 13. विमला देवी पत्नी स्व. नेनूराम, जाति विश्नोई, निवासी– ग्राम लोहावट विशनावास, तहसील लोहावट, जिला फलोदी। राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लोहावट।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बरखिलाफ निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21 अक्टूबर 2024 सहायक कलक्टर लोहावट राजस्व मूल वाद संख्या 04/2024 लक्ष्मण कुमार व अन्य बनाम बगतुदेवी इत्यादि

दावा बाबत

यह अपील बतारीख 19 फरवरी 2025 बहाजरी अधिवक्ता श्री पूनाराम विश्नोई मिनजानिब अपीलाण्ट्स, श्री रोशनलाल अधिवक्ता रेस्पो. एवं श्री दयाराम चौधरी राजकीय अधिवक्ता उपस्थित होकर हुक्म हुआ किअपील अपीलांट स्वीकार योग्य नहीं पाये जाने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर लोहावट द्वारा राजस्व मूल वाद संख्या 04/2024 अनवान लक्ष्मण कुमार व अन्य बनाम बगतुदेवी इत्यादि में पारित निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री दिनांक 21 अक्टूबर 2024 यथावत रखे जाते है। साथ ही विचारण न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि वह विभाजन प्रस्ताव पर उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए गुणावगुण पर विधिनुसार अंतिम डिक्री जारी करे। उभय पक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 24 फरवरी 2025 को उपस्थित रहे। खर्चा पक्षकारान् वहन करे।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुबलिग ---00---) रुपये ------00-------- अदा करें। खर्चा मुकदमा मातहत का ----00------ अदा करें।

बसख्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत हाजा तारीख 19 फरवरी 2025 को जारी किया गया।

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर

खर्चा अपील

अपीलाण्ट	राशि	रेस्पोडेण्ट	राशि
1. स्टाम्प अपील 2. स्टाम्प वकालतनाम 3. इजराय हुक्मनामा 4. वकील फीस बाबत मीजान	/	1. स्टाम्प वकलातनामा 2. स्टाम्प अर्जी 3. इजराम हुक्मनामा 4. मेहनताना वकील मीजान	/

(ओमप्रकाश विश्नोई)
राजस्व अपील प्राधिकारी, जोधपुर